संख्या-212/2015/1327/22-4-15-48(9)/10

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-21 दिसम्बर, 2015

विषय- जिला कारागार, मुरादाबाद को शहर की घनी आबादी के बाहर स्थानांतरित किये जाने तथा नवीन जिला कारागार, मुरादाबाद के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-43818/नम-2, दिनांक-08 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद को शहर से बाहर स्थानांतरित किये जाने हेतु नवीन कारागार के निर्माण के लिए ग्राम-सिरस खेड़ा के कृषकों की 40.334 हे0 भूमि, जिसकी लागत रू0 39,44,66,520/- है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं पूर्व में अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रू0 21,86,50,735/- को घटाते हुए शेष धनराशि रू0 17,58,15,785/-(रूपया सत्रह करोड़ अठ्ठावन लाख पन्द्रह हजार सात सौ पचासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1583/दस-2015, दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 212/2015/1327(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।